



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274410
CG-DL-E-11072026-274410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3545]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3545]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

का.आ. 3707(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5661(अ) तारीख 05 दिसम्बर 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 08 दिसम्बर 2025, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेल पदार्थ परिवहन के 8" व्यास की ओइल डिस्पेच लाइन जंबुसर जी.जी.एस. से डबका जी.जी.एस., द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 01/01/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

(अनुसूची संलग्न)

(अनुसूची)

संख्या नं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
8" व्यास की ओइल डिस्पेच लाइन जंबुसर जी.जी.एस. से डबका जी.जी.एस. तक					
तालुका : पादरा		जिला : वडोदरा	राज्य : गुजरात		
1	मासर	माइनोर	00	01	12
		1076	00	12	42
		1075	00	08	00
		1074	00	16	06
		1072	00	13	51
		1071	00	12	25
		1057	00	04	11
		1056	00	07	91
		1055	00	00	30
		1053	00	16	57
		1052	00	05	32
		1040	00	00	61
		1535(रास्ता)	00	03	80
		1051	00	00	50
		1045	00	04	73
		माईनोर केनाल	00	04	42
		1046	00	04	24
		1044	00	05	41
		कच्चा रास्ता	00	03	13

	मासर (जारी...)	1007	00	06	67
		1004/1	00	17	00
		1004/2	00	10	00
		1009	00	07	84
		1011	00	14	48
		कच्चा रास्ता (1504)	00	01	82
		1012	00	16	69
		996	00	08	00
		920	00	20	84
		924	00	02	21
		922	00	06	13
		923	00	13	33
		925	00	25	00
		कच्चा रास्ता	00	03	24
		832	00	16	16
		833	00	01	92
		831	00	18	88
		827	00	02	03
		830	00	00	03
		829	00	09	33
		828	00	11	27
		816	00	11	19
		817	00	06	33
		818	00	08	22
		820	00	00	38
		819	00	13	74
		रास्ता	00	01	46
		694	00	19	96
		689	00	01	82
		693	00	13	12
		692	00	00	16
		691	00	04	76
		677	00	00	09
		678	00	14	86
		675	00	00	03
		674	00	14	41

	मासर (जारी...)	नाला	00	01	89
		433	00	00	17
		449	00	18	84
		430	00	18	63
		429	00	02	75
		428	00	01	12
		नाला	00	02	62
		376	00	01	85
		378	00	20	77
		351	00	21	54
		352	00	12	00
		केनाल	00	06	31
		350	00	00	51
		349	00	22	58
		आर.सी.सी. रास्ता	00	02	10
		166	00	14	36
		163	00	11	30
		162	00	01	33
		161	00	12	42
		कच्चा रास्ता	00	04	14
		160	00	01	28
		159	00	15	21
		158	00	22	65
		150	00	08	91
		149	00	00	22
		147	00	23	95
		136	00	40	25
		119	00	25	93
		114	00	16	08
		115	00	14	28
		100	00	11	79
		101	00	04	70
		102	00	16	40
		103	00	00	07
		104	00	08	64
2	गामेठा	रास्ता	00	03	01

		415	00	06	66
		450	00	16	52
		430	00	05	83
		431	00	11	78
		कच्चा रास्ता(848)	00	01	44
		432	00	12	45
		434	00	10	22
		435	00	12	00
		कच्चा रास्ता(843)	00	02	54
		364	00	07	32
		360	00	01	03
		359	00	12	98
		365	00	00	07
		358	00	06	57
		357	00	08	44
		356	00	09	40
		346	00	00	79
		345	00	01	63
		337	00	13	92
		336	00	14	81
		335	00	07	21
		कच्चा रास्ता(843)	00	04	44
		246	00	03	92
		243	00	19	48
		244	00	00	10
		माईनोर केनाल (858)	00	01	38
		238	00	07	64
		रास्ता(865)	00	01	27
		239	00	00	53
		234	00	02	69
		240	00	00	60
		233	00	10	42
3	गवासद	125	00	09	25
		126	00	02	41
		129	00	14	51
		ओ.एन.जी.सी. ड्रिल साइट	00	18	01

	गवासद (जारी...)	190	00	08	81
		179	00	18	22
		180	00	05	80
		137	00	11	80
		1172	00	00	65
		176	00	13	66
		175	00	00	82
		172	00	10	84
		155	00	02	33
		156	00	05	50
		158	00	06	98
		159	00	03	10
	डबका जी.जी.एस.		00	00	48

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/41/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-54691)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

S.O. 3707(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 5661(E) dated 05.12.2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 08.12.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through 8" Ø OIL DISPATCH LINE FROM JAMBUSAR GGS TO DABKA GGS Pipeline in the State of Gujarat by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to the 01/01/2026.

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Oil and Natural Gas Corporation Ltd., free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Shall be exclusively liable for any Compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim of legal Proceeding would lie against the central government of any matter relating to the pipeline.

(Schedule annexed)

SCHEDULE

Sr.No.	Name of Village	Survey / Block No. Area	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
8" Ø OIL DISPATCH LINE FROM JAMBUSAR GGS TO DABKA GGS					
TALUKA : PADRA		DISTRICT : VADODARA	STATE : GUJARAT		
1	MASAR	MINOR	00	01	12
		1076	00	12	42
		1075	00	08	00
		1074	00	16	06
		1072	00	13	51
		1071	00	12	25
		1057	00	04	11
		1056	00	07	91
		1055	00	00	30
		1053	00	16	57
		1052	00	05	32
		1040	00	00	61
		1535(ROAD)	00	03	80
		1051	00	00	50
		1045	00	04	73
		MINOR CANAL	00	04	42
		1046	00	04	24
		1044	00	05	41
		CART TRACK	00	03	13
		1007	00	06	67
		1004/1	00	17	00
		1004/2	00	10	00
		1009	00	07	84
		1011	00	14	48
		CART TRACK (1504)	00	01	82
		1012	00	16	69
		996	00	08	00
		920	00	20	84
		924	00	02	21
		922	00	06	13
		923	00	13	33
		925	00	25	00
		CART TRACK	00	03	24
		832	00	16	16
		833	00	01	92
		831	00	18	88
		827	00	02	03
		830	00	00	03
		829	00	09	33
		828	00	11	27
		816	00	11	19
		817	00	06	33
		818	00	08	22
		820	00	00	38
		819	00	13	74
		ROAD	00	01	46
		694	00	19	96

	MASAR	689	00	01	82
	(Contd.....)	693	00	13	12
		692	00	00	16
		691	00	04	76
		677	00	00	09
		678	00	14	86
		675	00	00	03
		674	00	14	41
		NALA	00	01	89
		433	00	00	17
		449	00	18	84
		430	00	18	63
		429	00	02	75
		428	00	01	12
		NALA	00	02	62
		376	00	01	85
		378	00	20	77
		351	00	21	54
		352	00	12	00
		CANAL	00	06	31
		350	00	00	51
		349	00	22	58
		RCC ROAD	00	02	10
		166	00	14	36
		163	00	11	30
		162	00	01	33
		161	00	12	42
		CART TRACK	00	04	14
		160	00	01	28
		159	00	15	21
		158	00	22	65
		150	00	08	91
		149	00	00	22
		147	00	23	95
		136	00	40	25
		119	00	25	93
		114	00	16	08
		115	00	14	28
		100	00	11	79
		101	00	04	70
		102	00	16	40
		103	00	00	07
		104	00	08	64
2	GAMETHA	ROAD	00	03	01
		415	00	06	66
		450	00	16	52
		430	00	05	83
		431	00	11	78
		CART TRACK(848)	00	01	44
		432	00	12	45
		434	00	10	22
		435	00	12	00
		CART TRACK(843)	00	02	54
		364	00	07	32

	GAMETHA	360	00	01	03
	(Contd.....)	359	00	12	98
		365	00	00	07
		358	00	06	57
		357	00	08	44
		356	00	09	40
		346	00	00	79
		345	00	01	63
		337	00	13	92
		336	00	14	81
		335	00	07	21
		CART TRACK(843)	00	04	44
		246	00	03	92
		243	00	19	48
		244	00	00	10
		MINOR CANAL(858)	00	01	38
		238	00	07	64
		ROAD(865)	00	01	27
		239	00	00	53
		234	00	02	69
		240	00	00	60
		233	00	10	42
3	GAVASAD	125	00	09	25
		126	00	02	41
		129	00	14	51
		ONGC D/S	00	18	01
		190	00	08	81
		179	00	18	22
		180	00	05	80
		137	00	11	80
		1172	00	00	65
		176	00	13	66
		175	00	00	82
		172	00	10	84
		155	00	02	33
		156	00	05	50
		158	00	06	98
		159	00	03	10
		DABKA GGS	00	00	48

[F. No. Expl-13011(26)/41/2025-EXPL-PNG (E-54691)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.